वर्ष: 02 अंक: 03

आयोग की मासिक पत्रिका

एक कदम पारदर्शिता की ओर

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

न्यूजलेटर - अगस्त - 2022

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
न्यूजलेटर

वर्षः 02 अंकः 03 अगस्त 2022

संपादक
राजेश रंजन सिंह

ई–मेल : singh.rr9@gmail.com
@srajeshranjan

यह काफी हर्ष का विषय है कि बीते 15 अगस्त को देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे हुए। आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न के बीच आयोग की मासिका पत्रिका का लगातार प्रकाशन किया जा रहा है। इस अंक में भी हमने आयोग द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण नीति का कार्यान्वयन के लिए समीक्षा बैठक, राज्य कार्यालयों में मामलों की सुनवाई, मुख्यालय में कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों, गंभीर मामलों में स्थलीय निरीक्षण, सोशल मीडिया के जरिए अनुसूचित जाति के लोगों के साथ होने वाली घटनाओं पर मांगी गई रिपोर्ट्स को शामिल किया है। बीते माह कई गंभीर मामले घटित हुए, जिनमें आयोग ने संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई की। आयोग की कोशिश है कि इन सभी मामलों की जानकारी आम लोगों तक भी पहुंचती रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए मासिक पत्रिका का प्रकाशन जारी है। आपका यह सहयोग आगे भी मिलते रहे, इसकी हम अपेक्षा करते हैं।

धन्यवाद

(संपादक)

किसी भी प्रकार के सुझाव और शिकायतों के लिये संपर्क करें:
011 - 24620435 & 24606802

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi - 110003

website: http://ncsc.nic.in

ऑनलाइन शिकायत यहां दर्ज करें:
https://ncsc.negd.in/

National Commission for Scheduled Castes

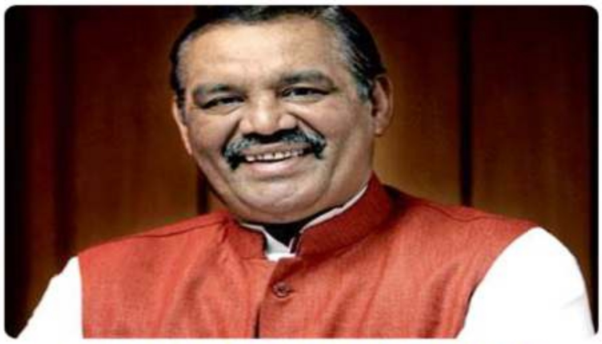

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

SHRI ARUN HALDER
VICE CHAIRMAN

DR. ANJU BALA
MEMBER

SHRI SUBHASH RAMNATH PARDHI
MEMBER

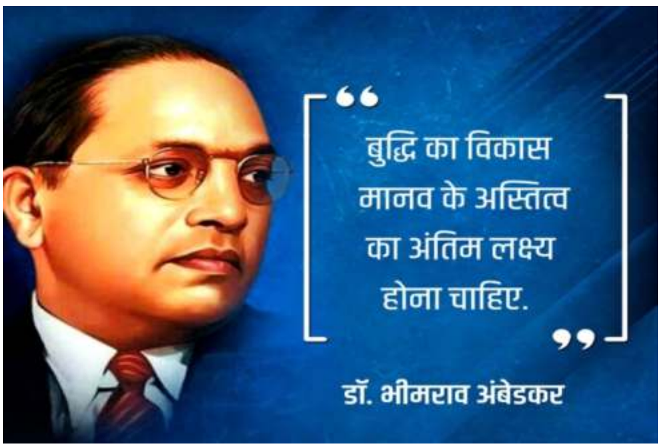

@NCSC_GoI @NCSC.GoI @ncsc_goi

माननीय अध्यक्ष का संदेश

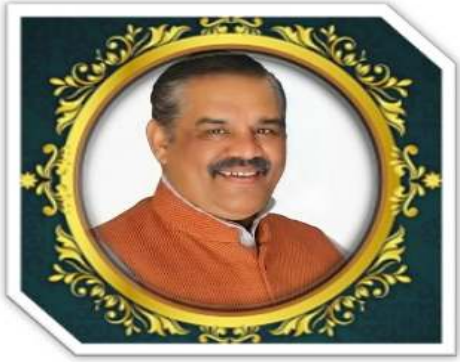

SHRI VIJAY SAMPLA
CHAIRMAN

बीते 15 अगस्त को हमने अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरे किए। ऐसे में यह काफी हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के चौदह अंक प्रकाशित किए जा चुके हैं। इस बार पंद्रहवां अंक प्रकाशित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका के पंद्रहवें अंक के विमोचन के लिए यह संदेश लिखते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। आयोग लगातार अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में स्थलीय निरीक्षण से लेकर आयोग मुख्यालय में जनसुनवाई तक कर रहा है।

आयोग का फोकस सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय दिलाने पर है। इसे पूरा करने के लिए आयोग की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग ने अगस्त माह में दौरान कई राज्यों का आधिकारिक दौरा कर संस्थानों व संभागों में अनुसूचित जाति वर्ग की आरक्षण नीति के क्रियान्वयन के संबंध में संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें की हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग समाज के हाशिये पर खड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और आयोग का प्रयास रहेगा कि दूरस्थ गांव से लेकर शहर तक के प्रत्येक अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव या अन्याय न होने पाए।

मासिक पत्रिका के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि लोगों तक आयोग द्वारा लिए गए फैसलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी समय-समय पर पहुंचती रही। आयोग ठीक से काम करता रहे, इसके लिए आशा है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा।

जय हिंद !

सादर धन्यवाद

विजय सांपला

अध्यक्ष,
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

समीक्षा बैठक

राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा में राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति के कार्यांवयन की समीक्षा बैठक की गई। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री व विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ आयोग की हुई एस राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन जयपुर में किया गया। इस समीक्षा बैठक में राज्य में अनुसूचित जाति के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए बनी आरक्षण नीति की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई।

इस समीक्षा बैठक के लिए आयोग का एक दल दो दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंचा था। इस दल की अगुवाई आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला ने की। इस दौरान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, निदेशक श्री कौशल कुमार, निदेशक (सलाहकार) श्री अजित कुमार साहू व अवर सचिव श्री किशन चंद भी मौजूद रहे।

स्थलीय निरीक्षण

महिला शिक्षिका को जिंदा जलाने मामले में आयोग का स्थलीय निरीक्षण

राजस्थान के जयपुर ग्रामीण इलाके के रायसर थाना इलाके में अनुसूचित वर्ग की एक महिला शिक्षिका को जिंदा जलाने के सनसनीखेज मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी ने स्थलीय निरक्षण कर पीड़ित परिवार से भेंट की।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयपुर के रायसर गांव में 10 अगस्त सुबह आठ बजे रैगरों के मोहल्ले में रहने वाली शिक्षिका अपने बेटे को लेकर स्कूल जा रही थी, तभी कुछ लोगों के समूह ने शिक्षिका को घेर लिया और पेट्रोल डालकर शिक्षका को लगा दी। अस्पताल में पीड़ित की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोप है कि उधार दिए गए रुपये मांगने पर आरोपियों ने उसे आग लगा दी थी।

इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए आयोग का एक दल माननीय अध्यक्ष की अगुवाई में स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचा और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी होने पर नाराजगी जताते हुए श्री विजय सांपला जी को अपनी व्यथा से अवगत करवाया।

समीक्षा बैठक

आरक्षण नीति जांच के लिए बैंकों की समीक्षा बैठक

बैंकों में अनुसूचित जाति वर्ग हेतु आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का एक दल दो दिवसीय दौरे पर चेन्नई पहुंचा। इस दौरान माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी की अगुवाई में इस दल ने इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसिज बैंक की समीक्षा बैठक की। इस दौरान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरूण हालदार, माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला व माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में आयोग के संयुक्त सचिव श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, उपनिदेशक श्री संदेश सक्सेना, निदेशक श्री कौशल कुमार, निदेशक (सलाहकार) श्री अजित कुमार साहू व अवर सचिव श्री किशन चंद व जितेंद्र सिहवाग भी मौजूद रहे।

खबरों में आयोग

ने अफसरों को दिया नोटिस

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. राजस्थान के अलवर के रामगढ़ के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामबास में चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग में मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत आधा दर्जन अफसरों को नोटिस देकर 7 दिन में जवाब मांगा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला ने राजस्थान के अलवर के रामगढ़ के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामबास में चिरंजी लाल की मॉब लिंचिंग में मौत को गंभीर माना है। उनके निर्देश पर आयोग के निदेशक कौशल कुमार ने राजस्थान के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जयपुर संभागीय आयुक्त, जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक, अलवर के जिला कलक्टर व अलवर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस दिया है। आयोग ने इन अफसरों को 7 दिन में मॉब लिंचिंग मामले में की गई कार्रवाई पर जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं।

शौच करने गए चिरंजीलाल को घेरकर मारा

दरअसल, राजस्थान के अलवर के रामगढ़ के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के रामबास में गांव में खेत में शौच कर रहे किसान चिरंजीलाल को चोर समझकर ट्रैक्टर मालिक और उसके साथ गाड़ी में सवार होकर आए 20-25 लोगों ने मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। किसान की मौत पर मृतक के परिजन और ग्रामीणों ने मंगलवार को आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मुख्य रास्तों पर जाम कर दिया था। घटना के विरोध में गोविंदगढ़ और रामबास के बाजार बंद रहे। पुलिस ने किसान की मौत के मामले में मंगलवार रात असद खां मेव, श्याबू खां, साहुन खान, तलीम खान, कासम खान, तोला उर्फ ताफिक खान, विक्रम खान को गिरफ्तार किया।

मौत के मामले में आयोग ने मांगी रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: नवांशहर के बलाचौर में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो लोगों की मौत की घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर तत्काल कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में सीवर मैन सफाई के लिए सीवर में गया था, तभी उसे जहरीली गैस के कारण बेचैनी होने लगी।

जब उसने मदद मांगी तो एक राहगीर भी उसे बचाने के लिए सीवर के नीचे गया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया।

दैनिक सवेरा टाइम्स

ਸੀਵਰੇਜ ਹਾਦਸਾ: ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਲਾਚੌਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। -ਟਨਸ

बलाचौर में सीवर में दम घुटने से 2 लोगों की मौत का मामला

एन.सी.एस.सी. ने पंजाब सरकार से मांगी ए.टी.आर.

- एन.सी.एस.सी. अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा गया

सवेरा न्यूज/ नरेश

चंडीगढ़, 27 अगस्त : बलाचौर में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत की घटना पर कड़ा संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एन.सी. एस.सी.) ने अपने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। 23 अगस्त को एक समाचार पत्र में छपी खबर से एन.सी.एस.सी. को मिली जानकारी के अनुसार एक सीवर मैन सफाई के लिए सीवर में गया था, तभी उसे जहरीली गैस के कारण

विजय सांपला

गया, लेकिन दोनों दम तोड़ गए।

इस बीच, आयोग ने मुख्य सचिव (पंजाब), पुलिस महानिदेशक (डी.जी.पी.-पंजाब पुलिस), उपायुक्त (नवांशहर जिला) और पुलिस अधीक्षक (नवांशहर जिला) को मामले की जांच कर, तथ्यों और सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई को तुरंत डाक या ईमेल के माध्यम से भेजने को कहा है। विजय सांपला ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामलों से संबंधित प्रासंगिक दस्तावेज भी उपलब्ध कराने के लिए कहा है जिसमें प्राथमिकी, मृतकों की चिकित्सा रिपोर्ट और मृतक के परिवार को प्रदान की गई राहत राशि शामिल है। सांपला ने अधिकारियों को आगाह किया कि यदि निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और दिल्ली में

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ

बलाचौर: सीवर में मौत मामले में आयोग का सरकार को नोटिस

चंडीगढ़। जिला एसबीएस नगर के बलाचौर में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस चढ़ने से दो लोगों की मौत मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा। 23 अगस्त को एक सीवर मैन सफाई के लिए सीवर में उतरा था, तभी उसे जहरीली गैस के कारण बेचैनी होने लगी। मदद मांगी तो एक राहगीर बचाने नीचे गया, लेकिन दोनों ने दम तोड़ दिया। आयोग ने मुख्य सचिव (पंजाब), पुलिस महानिदेशक (डीजीपी-पंजाब पुलिस), उपायुक्त (नवांशहर) और पुलिस अधीक्षक (नवांशहर) को जांच कर की गई कार्रवाई को भेजने को कहा। सांपला ने प्राथमिकी की प्रति, चिकित्सा रिपोर्ट मांगी है और मृतक के परिवार को प्रदान की गई राहत राशि के बारे में भी जानकारी मांग है।

दैनिक भास्कर जयपुर जिला शाहपुरा 21-08-2022

शिक्षिका के घर पहुंचे एससी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जांच के निर्देश दिए

जयपुर संभागीय आयुक्त, आईजी, ग्रामीण एसपी सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद

भास्कर न्यूज | रायसर/शाहपुरा

रायसर कस्बे में शिक्षिका अनीता के आत्मदाह प्रकरण को लेकर शनिवार को एससी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला ने संभागीय आयुक्त सीताराम विकास भाले, आईजी उमेश दत्ता, जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल पुलिस अधिकारियों के साथ मृतका के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करते हुए पूरे मामले की जानकारी ली। इस दौरान मृतका के पति ताराचंद ने न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को सजा दिलवाने व बच्चों के भरण पोषण को लेकर सहायता दिलवाने की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष सांपला ने मृतका के परिवार को ढाढस बंधाते हुए पुलिस के आलाधिकारियों को मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषियों को सजा दिलवाने के निर्देश दिए। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ घटना स्थल का जायजा लिया। उन्होंने घटना को लेकर लोगों से वार्ता की। लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को बताया कि 10 जुलाई को अनीता अपने हाथ में पेट्रोल की शीशी व माचिस लेकर आई थी। उसने खुद ही

अपने कपड़ों में आग लगा ली थी। सांपला ने अपने साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के निर्देश दिए। इस दौरान एडिशनल एसपी मुख्यालय धर्मेंद्र यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अशोक शर्मा, सीओ जमवारामगढ़ शिवकुमार भारद्वाज, एसडीएम चिमनलाल मीणा, आंधी तहसीलदार राजेंद्र मीणा आदि पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।

यह था मामला

गौरतलब है कि कस्बा निवासी अनीता 10 अगस्त को कपड़ों में आग लगने के कारण 70 प्रतिशत तक झुलस गई थी। गंभीरावस्था में उसे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया। 12 अगस्त को पुलिस द्वारा लिए गए पर्चा बयान में अनीता ने सुनील व अन्य लोगों द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की बात कही थी। उसने 17 अगस्त को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पति ताराचंद ने आरोप लगाया था कि उन्होंने सुनील को 2.5 लाख रुपए उधार दिए थे। पैसे मांगने पर वह परिवार के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करता था। आरोप था कि 10 अगस्त को जब अनीता 6 वर्षीय बेटे राजवीर के साथ स्कूल जा रही थी। इसी दौरान सुनील सहित अन्य ने उस पर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया था। जांच एएसपी भवानी सिंह एसआईसीयुडब्लु सैल को सौंपी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि लेनदेन के विवाद को लेकर आरोपी अनीता को प्रताड़ना दे रहे थे जिस पर उसने आत्मदाह कर लिया।

आरोपियों को भेजा जेल

पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शुक्रवार को 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। शनिवार को सभी को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दो महिलाओं को जेल भेज दिया। अन्य पांच आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंप दिया।

जयपुर

एससी आयोग के राष्ट्रीय अ

रायसर, मृतका के परिज

रेंज आईजी, संभागीय आयुक्त और ग्रामीण पुलिस

आरोपी तीन दिन की पुलिस रिमांड पर, महिलाओं को भेजा जेल

न्यूज सर्विस/नवज्योति, **जमवारामगढ़।** रायसर थाने के अधीन रैगर मोहल्ले में पेट्रोल से बीती दस अगस्त को जिंदा जली मृतका अनीता (32) की इलाज के दौरान एसएमएस अस्पताल में 17 अगस्त को मौत हो गई थी। पुलिस ने मृतका के पर्चा बयान पर आठ लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था।इस घटना के सिलसिले में राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष विजय सापला प्रतिनिधि मंडल के साथ शनिवार को रैगर मोहल्ले पहुंचे और मृतका

के पति से घटना की जानकारी ली। परिवार जनों ने बताया कि अगर अनीता आत्महत्या ही करती तो वह घर पर भी कर सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उसको जलाकर ही मारा गया है। उन्होंने रायसर थाना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। इसके बाद सापला ने

घटनास्थल का
किया। इस दौरान
जयपुर रेंज आईजी
दत्ता, संभागीय आयु
सीताराम भाले, ज
एसपी मनीष
वृताधिकारी शि
भारद्वाज, एसडीएम
मीणा, आंधी तहसी
कुमार मीणा सहित
मौजूद रहे। सूत्रों के
आयोग के अध्यक्ष
में रेंज आईजी, स
जिला कलेक्टर प्र
सहित अन्य अधि
बैठक की और
निर्देश दिए।

पंजाब केसरी SUN,21 AUGUST 2022
EDITION: JAIPUR, PAGE NO. 4

रायसर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिले स

महिला के आत्मदाह करने का मामला

जमवारामगढ़, 20 अगस्त (न्यूज़): रायसर कस्बे में महिला के आत्मदाह प्रकरण को लेकर शनिवार को एससी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले, आईजी पुलिस उमेश दत्ता, एसपी मनीष अग्रवाल द्वितीय, एडीशनल एसपी मुख्यालय धर्मेन्द्र यादव, एडीएम चतुर्थ अनु बकर, सीओ वृत्त जमवारामगढ़ शिवकुमार भारद्वाज, एसडीएम चिमनलाल मीणा, आंधी तहसीलदार राजेंद्र मीणा के साथ पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। सांपला ने पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली।

उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। सांपला ने पीड़ित परिवार के अलावा घटनास्थल का भी जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। सांपला ने अपने साथ मौजूद पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ताकीद किया।

यह था मामला

ग्राम रायसर निवासी एक महिला अध्यापिका की आग में जलने के बाद उपचार के दौरान मौत हो गई थी। महिला द्वारा पुलिस को दिए गए पर्चा बयान के आधार पर मृतका अनीता देवी के परिजनों ने उनसे पैसे उधार ले रखे थे। जब मृतका उनसे पैसे मांगती थी तो वह उसे धमकाते थे। उसके बाद महिला के बार-बार पैसों की मांग करने पर उन्होंने महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।

आग में पूरी तरह झुलसी महिला को सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

पुलिस मान चुकी है आत्मदाह

घटना के संबंध में मृतका के

दो महिलाओं सहित 7 को कि

मृतका अनिता देवी आत्मदाह मामले में आरोपी [illegible] (40), प्रह्लाद पुत्र गोकुल राम (35), रामकरण [illegible] राजेंद्र पुत्र रामजीलाल (35), सुनील पुत्र गोपी[illegible] देवी पत्नी गोपीराम (45) एवं सरस्वती देवी प[illegible] सभी निवासी रैगर मोहल्ला कस्बा रायसर थाना [illegible] ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया। सरस्वती देवी को [illegible] किया गया है।

मृत्यु पूर्व के पर्चा बयान पर थाना रायसर पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले को अनुसंधान भवानी सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईयूसीडब्ल्यू सैल जयपुर ग्रामीण के जिम्मे किया गया। इसके बाद भवानी सिंह

अतिरिक्त
एसआईयू
ग्रामीण द्वारा
का निरीक्षण
गहन अनु
अनुसंधान
द्वारा आरोपि

स्कूलों में भेदभाव के वीडियो पहले भी सामने आए, सरकार ने नहीं लिया संज्ञान: सांपला

राजस्थान सरकार ने जालोर घटना की रिपोर्ट एससी आयोग को सौंपी

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

नई दिल्ली. राजस्थान के जालोर में शिक्षक द्वारा मटकी से पानी पीने को लेकर एक दलित बच्चे की हत्या के मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सौंप दी है। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बच्चों के भेदभाव के वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। निर्देश के बावजूद राजस्थान सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। जालोर की घटना के मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर राजस्थान के रेजीडेंट कमीश्नर समेत कुछ अन्य अधिकारी आयोग पहुंचे। रिपोर्ट में बताया गया कि मृत छात्र इंद्र कुमार के पिता देवाराम व चाचा ने 20 जुलाई को स्कूल में इंद्र के मटकी से पानी लेकर पीने पर संस्था प्रधान छैल सिंह पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस दौरान छात्र के घायल होने व उसके बाद इलाज के दौरान छात्र की 13 अगस्त को मौत हो गई। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट पर आयोग अध्यक्ष सैंपला ने कहा कि 8 से 10 साल के बच्चों को जाति का भेदभाव पता नहीं होता है। हालांकि शिक्षक द्वारा मारपीट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में अलग-अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि स्कूल में मटका नहीं था। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने राजस्थान सरकार से प्रमाणिक जांच कर रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। वैसे भी राजस्थान के सरकारी स्कूलों में भेदभाव को लेकर सोशल मीडिया व अलग-अलग माध्यमों से वीडियो मिलते रहे हैं। इस पर हमने राजस्थान सरकार को संज्ञान लेकर कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया।

2 die in sewer, SC panel seeks report

Times News Network

Chandigarh: Taking note of two men dying after inhaling poisonous gas while cleaning a sewer in Balachaur town of Nawanshahr, the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has issued a notice to officials of the Punjab government, asking them to submit an action taken report.

NCSC chairperson Vijay Sampla said as per the information received by the commission, a sewer man was cleaning a line when he started to

rector general of police (DGP), Nawanshahr deputy commissioner, and Nawanshahr superintendent of police to investigate the matter and submit the action taken report, immediately, through post or email, based on facts and information on the action taken in the deaths. Sampla asked officials to also provide documents related to the cases — including a copy of FIR, medical reports of the deceased and amount of relief provided to families.

Sampla told officers if the action taken report was not re-

NCSC to review atrocities agains Rajasthan

By Nidhi Sharma, • Last Updated: Aug 17, 2022, 12:45 AM IST

Synopsis
Following several complaints of atrocities and discrimination against Dalits in Rajasthan, the National Commission of Scheduled Castes (NCSC) will conduct a two-day full-scale review of the implementation of central schemes, school enrolment ratio and dropout rate and violence against children on the basis of caste in the state.

Following several complaints of atrocities and discrimination against Dalits in Rajasthan, the National Commission of Scheduled Castes (NCSC) will conduct a two-day full-scale review of the implementation of central schemes, school enrolment ratio and dropout rate and violence against children on the basis of caste in the state.

The commission will review all complaints of atrocities received from Rajasthan. The decision follows a recent incident in which a 9-year-old Dalit boy Indra Meghwal, a resident of Surana village of Jalore district in Rajasthan, was allegedly beaten to death by his school teacher because he accidentally drank water from a pot meant for the teacher. Police have registered an FIR under Section 302 (murder) of Indian Penal Code (IPC) and relevant sections of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. The FIR reads, "Indra was a child, he didn't know that the matki (earthen pot) that he drank from had been kept

ThePrint

POLITICS GOVERNANCE ECONOMY DEFENCE INDIA FEATURES OPINION EVENTS

Home › India › NCSC reviews implementation of welfare schemes for SCs in Rajasthan

India

NCSC reviews implementation of welfare sc in Rajasthan

PTI 24 August, 2022 11:03 pm IST

Like 0

Text Size: A- A+

Jaipur, Aug 24 (PTI) The National Commission for Scheduled Castes on Wednesday reviewed the implementation of various schemes run for the welfare of SCs in Rajasthan.

NCSC chairman Vijay Sampla took feedback from some of the sitting and former SC MLAs, Social Justice and Empowerment Minister Tika Ram Jully at the collectorate here and held a discussion about the schemes and issues pertaining to members of the community.

स्थलीय निरीक्षण

तीन लोगों की हत्या मामले की होगी मुख्यालय में सुनवाई

कोलकाता के कैनिंग में अनुसूचित जाति के तीन व्यक्तियों की हत्या कर दी गई। इस मामले का संज्ञान लेते हुए माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने घटनास्थल का दौरा किया। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के राज्य कार्यालय में पीड़ित परिवार के सदस्यों से मिले और पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इन परिवारों को न्याय दिलाने के लिए जल्द ही नई दिल्ली स्थित आयोग मुख्यालय में माननीय अध्यक्ष द्वारा मामले की सुनवाई की जाएगी।

अंतिम संस्कार करने गए लोगों पर हमला, आयोग की सख्ती

उत्तर प्रदेश के बदायूँ जनपद में गंगा घाट पर अंतिम संस्कार करने गए वाल्मीकि समाज के लोगों पर किये गये हमले के मामले में आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग का एक दल माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला की अगुवाई में पीड़ित परिवारों से मिलने पीड़ितों के गांव नूरपुर पहुंचा। माननीय सदस्या ने मामले की जानकारी ली और अधिकारियों को कार्यवाही के निर्देश दिए। आयोग के दल ने घटना स्थल का स्थलीय निरीक्षण भी किया।

पिटाई से हुई बच्चे की मौत, आयोग ने कड़ी कार्रवाही के दिए निर्देश

राजस्थान के जालोर में शिक्षक की पिटाई से एक नौ साल के अनुसूचित जातिवर्ग के बच्चे की मौत की घटना का आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया। माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी की अगुवाई में आयोग के एक दल ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से भी भेंट की और प्रशासनिक अधिकारियों को उचित धाराओं के अंतर्गत पूर्ण न्यायिक जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया।

कोल इंडिया के प्रतिनिधियों ने बताई अपनी समस्याएं

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री अरुण हालदार ने पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता स्थित कोल भवन में कोल इंडिया एससीएसटी वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं को जाना। माननीय उपाध्यक्ष ने समस्याओं को दूर कराने के लिए भरोसा दिलाया।

आयोग के दल ने किया बिहार का दौरा

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की माननीय सदस्या डॉ. अंजू बाला ने बिहार के किशनगंज जिले का दौरा किया। इस दौरे के दौरान जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की समस्याओं एवं उनके समाधान करने हेतु निर्देशित किया।

अजमेर में संभागीय समीक्षा बैठक

आरक्षण नीति को लागू करने को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा राजस्थान के अजमेर में संभागीय समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक की अगुवाई आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष रामनाथ पारधी ने किया। इस अवसर पर अजमेर संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

सोशल मीडिया में आयोग

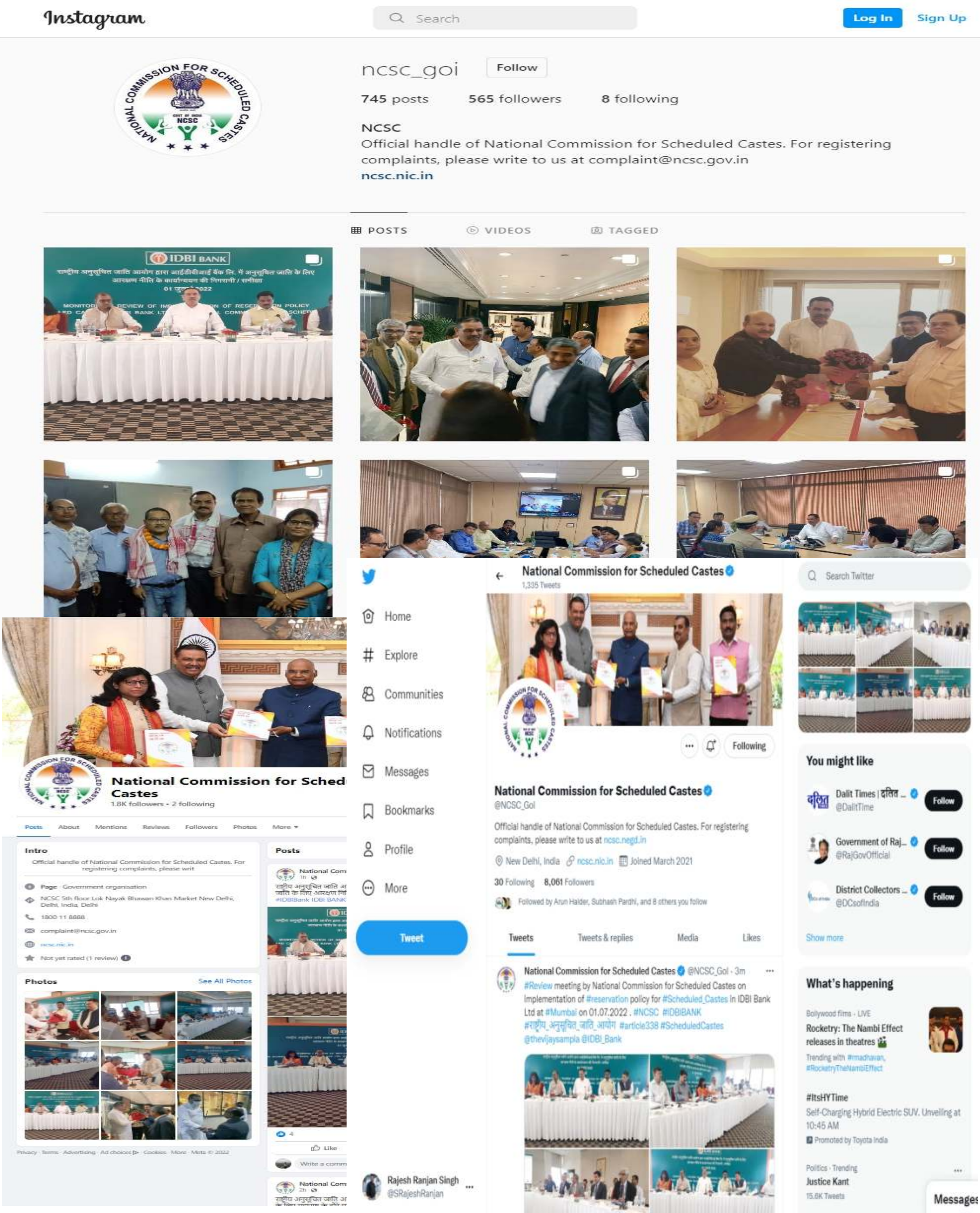
Instagram
Search
Log In
Sign Up
ncsc_goi
Follow
745 posts
565 followers
8 following
NCSC
Official handle of National Commission for Scheduled Castes. For registering complaints, please write to us at complaint@ncsc.gov.in
ncsc.nic.in
POSTS
VIDEOS
TAGGED
National Commission for Scheduled Castes
1.8K followers • 2 following
Intro
Official handle of National Commission for Scheduled Castes. For registering complaints, please write
Page · Government organisation
1800 11 8888
complaint@ncsc.gov.in
ncsc.nic.in
Photos
See All Photos
Home
Explore
Communities
Notifications
Messages
Bookmarks
Profile
More
Tweet
National Commission for Scheduled Castes
1,335 Tweets
Following
National Commission for Scheduled Castes
@NCSC_GoI
Official handle of National Commission for Scheduled Castes. For registering complaints, please write to us at ncsc.negd.in
New Delhi, India
ncsc.nic.in
Joined March 2021
30 Following
8,061 Followers
Tweets
Tweets & replies
Media
Likes
#Review meeting by National Commission for Scheduled Castes on implementation of #reservation policy for #Scheduled_Castes in IDBI Bank Ltd at #Mumbai on 01.07.2022 . #NCSC #IDBIBANK
#राष्ट्रीय_अनुसूचित_जाति_आयोग #article338 #ScheduledCastes
@thevijaysampla @IDBI_Bank
Search Twitter
You might like
Dalit Times
@DalitTime
Government of Raj...
@RajGovOfficial
District Collectors ...
@DCsofIndia
Follow
Show more
What's happening
Rocketry: The Nambi Effect releases in theatres
#ItsHYTime
Self-Charging Hybrid Electric SUV. Unveiling at 10:45 AM
Promoted by Toyota India
Justice Kant
15.6K Tweets
Rajesh Ranjan Singh
@SRajeshRanjan
Messages

आयोग के नई दिल्ली कार्यालय में अधिकारियों व प्रार्थी की उपस्थिति में एक मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी।

माननीय अध्यक्ष श्री विजय सांपला जी अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए विधि व्यवसायियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करते हुए।

National Commission For Scheduled Castes

5th Floor, Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi-110 003